

36. देवीया पुत्र श्री नाथू बलाई नि० सायला तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
 37. उदा पुत्र श्री भोना लाल बलाई नि० सायला तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
 38. पूरण पुत्र श्री भोना लाल बलाई नि० सायला तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
 39. नन्दू पत्नी श्री रामलाल भील नि० सायला तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
 40. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा । (राज.)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 18-03-2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 10-01-2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सायला प०ह० दूडिया भू०अ०नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा की खाता संख्या 140 की आ.न. 122 रकबा 0.2276 है०, आ.न. 144 रकबा 0.0506 है०, आ.न. 145 रकबा 0.3541 है०, आ.न. 148 रकबा 0.1265 है०, आ.न. 149 रकबा 0.0379 है०, आ.न. 150 रकबा 0.1012 है०, आ.न. 156 रकबा 0.2403 है०, आ.न. 205 रकबा 0.4932 है०, आ.न. 216 रकबा 0.2276 है०, आ.न. 219 रकबा 0.5437 है०, आ.न. 317 रकबा 0.4552 है०, आ.न. 341 रकबा 0.0379 है०, आ.न. 52 रकबा 1.3161 है०, कुल किता 13 रकबा 4.2109 है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10-01-2025 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 39 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम सायला प०ह० दूडिया भू०अ०नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा की खाता संख्या 140 की आ.न. 122 रकबा 0.2276 है०, आ.न. 144 रकबा 0.0506 है०, आ.न. 145 रकबा 0.3541 है०, आ.न. 148 रकबा 0.1265 है०, आ.न. 149 रकबा 0.0379 है०, आ.न. 150 रकबा 0.1012 है०, आ.न. 156 रकबा 0.2403 है०, आ.न. 205 रकबा 0.4932 है०, आ.न. 216 रकबा 0.2276 है०, आ.न. 219 रकबा 0.5437 है०, आ.न. 317 रकबा 0.4552 है०, आ.न. 341 रकबा 0.0379 है०, आ.न. 52 रकबा 1.3161 है०, कुल किता 13 रकबा 4.2109 है०, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 1700/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 18.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(नेहा छीपी)
 उपनिवेश अधिकारी
 हमीरगढ